FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

गंगादेवी वगै0 बनाम चौथमल वगै0

मु0नं0 सन् 2022 जीसीएमएस नं. 584

जिन्स मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2022/73	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री रामनिवास** यादव एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 470, 472, 473, 478, 623, 634, 635, 636, 640, 641 किता 10 रकबा 13.43 हैक्ट. अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना की वर्तमान मौका स्थिति परिवर्तित नही करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम. 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख [illegible] से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का [illegible] करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित [illegible] गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.11.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

9/11/22 पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।

14/12/22 पत्रावली पेश [illegible] [illegible] [illegible] P.O. [illegible] [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।

[illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 3/6/23 पत्रावली [illegible] नियत की जाती है।

9/6/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] के कारण [illegible] अवकाश [illegible] के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21/7/23 नियत की जाती है।

21/7 पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] P.O. साहब [illegible] [illegible] में [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/23 को पेश हो।

27/10/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान हाजिर। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/1/24 को पेश हो।

9/1/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] ने [illegible] [illegible] [illegible] रखा है। पत्रावली [illegible] दिनांक 21/3/24 को पेश हो।

21/3/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. साहब दौरा कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/5/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

584/2022	प्रार्थना हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गंगादेवी V/S चौथमल	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	29/5/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। कई-कई आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विधेयाका अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो [signature] (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:53:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner